कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।

पत्रांक : 2280 /वाद सं0– सी–1192/एस–5/2023 दिनांक: 14/10/ 2024

(22)

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
देहरादून।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि श्री मन्जीत जौहर, बालावाला, निकट बांगी पुलिया बैक ऑफ बढौदा, देहरादून द्वारा उपरोक्त स्थल पर भूतल पर लगभग 15 बीघा भूमि पर भू–विन्यास कर चिन्हीकरण करते हुए अवैध प्लाटिंग बिना मानचित्र स्वीकृत कराये किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगर योजना एंव विकास अधिनियम–1973) संशोधन अधिनियम–2009, की धारा के अन्तर्गत प्राधिकरण में वाद सं0 सी–1192/एस–5/2023 योजित किया गया। जिसे सम्यक सुनवाई उपरान्त दिनांक 18.06.2024 को ध्वस्त कर दिया गया था। क्षेत्रीय अभियन्ता आख्या दिनांक 20.08.2024 के क्रम में स्थल पर अभी भी सी0सी0 सडक तथा कुछ भू–खण्डों पर डिमार्केशन मौजूद है। अतः उक्त अवैध निर्माण को पुनः दिनांक 24-10-24 को ध्वस्त किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार नियत तिथि को ध्वस्त की कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु संबंधित थानाध्यक्ष को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध राने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता/पी0अधि0,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

Recieved Raj 15/10/2024

प्रतिलिपिः–1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि नियत तिथि को उक्त कार्य को शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु एक मजिस्ट्रेट नियुक्त करने की कृपा करें।

2. सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ताअ/अवर अभियन्ता, (इलैक्ट्रीकल्स)/समस्त प्रोसेस सर्वर को इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि व समय पर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर प्रश्नगत अवैध निर्माण को सील करने की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

3. नाजिर को इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि पर एक जे0सी0बी0 एवं ध्वस्तीकरण से संबन्धित समस्त सामग्री संबन्धित सहा0 अभि0/अव0अभि0 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

4. श्री मन्जीत जौहर, बालावाला, निकट बांगी पुलिया बैक ऑफ बढौदा, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त तिथि को आप स्वंय स्थल पर उपास्थित रहेंगे एवं स्थल से अपना सम्मस्त सामान हटा ले। शेष नियम व शर्ते पूर्व प्रेषित पत्रांक 9309 दिनांक 13–03–2024 आदेश की शर्त यथावत रहेगी।

15/10/24

अधिशासी अभियन्ता/पी0अधि0,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।